

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :-

रा०खा०आ० (शिकायत)– प० सिंहभूम / MDM –07/2023 -247

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 06.04.2023

विषय:- राज्य के प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में मैट्रिक/इन्टर की परीक्षा लिये जाने के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में कठिनाई संबंधी परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि परिवादी श्री बैरम खान का परिवाद पत्र आयोग द्वारा शिकायत प्रप्ति हेतु जारी किये गये व्हाट्सएप्प पर प्राप्त हुआ है। प्राप्त परिवाद में राज्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में मैट्रिक तथ इन्टर की परीक्षा लिये जाने हेतु परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का उल्लेख करते हुए इससे इन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के संचालन में होने वाली कठिनाई के संदर्भ में शिकायत की गई है। परिवादी द्वारा इन विद्यालयों से परीक्षा केन्द्र हटा दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः प्राप्त शिकायत पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि इसके निदान हेतु विभाग के पास उपलब्ध विकल्प से आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।
अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन

64/22
(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

Mo.No:- 8789119365 Date- 11-03-2023 Complaint no. ②

M. ५ विद्यालय समिति की
इस विद्यालय पर अवश्यक करते हैं
उपरोक्त नियन्त्रण में विज्ञान के पास
उपरोक्त विकल्प की जानकारी।
+91 87891 19365 ३५८००० विकल्प की जानकारी।
भाग, विद्यालय कर्मी की जानकारी।
३५८००० विकल्प का ज्ञान।

WA/221/2023

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
रांची झारखण्ड

विषय: मैट्रिक परीक्षा संचालित समय मिड डे मील समय पर
उपलब्ध कराने के संदर्भ में।

महोदय उपर्युक्त विषय में कहना है कि मैं बैरम खान मानव
अधिकार कार्यकर्ता चक्रधरपुर जिला पश्चिमी सिंहभूम का
निवासी हूं।

आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण शिकायत दर्ज कर रहा हूं।

जैक द्वारा प्रत्येक वर्ष मैट्रिक/ इंटर की परीक्षा ली जाती है
और इस दौरान वैसे विद्यालय को भी ले लिया जाता है जहां
पर मिड डे मील संचालित होता है।

क्योंकि मिड डे मील किसी भी सूरत में बंद ना हो इसके लिए
सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है। लेकिन झारखण्ड में देखा जा
रहा है ऐसे प्रांगण में मैट्रिक/ इंटर का सेंटर दिया गया है जहां
पर माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के साथ-साथ उच्च
विद्यालय भी संचालित होती है और ऐसे विद्यालयों में बच्चों को
सुबह के समय बुलाकर मध्यान भोजन खिलाकर शिक्षक
जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं जब इन शिक्षकों से मैंने पूछा
की मध्यान भोजन का समय दोपहर होता है और इतनी सुबह
मध्यान भोजन करना नया संगत नहीं है बच्चों को अल्प
आहार देने का प्रावधान है तो कहा जाता है कि पदाधिकारी
का मौखिक निर्देश है।

अतः आपसे निवेदन है की इस गंभीर विषय पर संज्ञान लिया
जाए और बच्चों को मध्यान भोजन उनके निर्धारित समय पर
उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग झारखण्ड सरकार से इस
संदर्भ में तलात संज्ञान लेने के लिए कहा जाए हो सके तो
वैसे प्रांगण से सेंटर हटा दिया जाए जहां पर प्राथमिक
माध्यमिक विद्यालय संचालित चलती रहती है।
आपके इस नेक कार्य के लिए मैं सदा आपका अभारी रहूंगा।

धन्यवाद
बैरम खान
मानव अधिकार कार्यकर्ता
8789119365

12:02 pm

①

